प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/1051, दिनांक 23-3-2017 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-104/2016/2761/71-2-16-18/2012 दिनांक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, कन्नौज, आजमगढ, अम्बेडकरनगर एवं जालौन को आवंटित धनराशि के सापेक्ष के सापेक्ष महानिदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार हो रही सम्भावित कुल बचत रू0 175.00 लाख को निम्नलिखित राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था का नाम	धनराशि (लाख में)
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	75.00
2	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	40.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।	40.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।	20.00
	योग-	175.00

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली- 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्थान/मेडिकल कालेज का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उक्त मद में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सूची (नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर सहित) उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 40/2017/911(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/प्राधानाचार्य, मे0का0 झाँसी, गोरखपुर, आगरा।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।